

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021 — चैत्र 6, शक 1943

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/तीन-जेल/2021.— छत्तीसगढ़ बन्दी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 (क. 15 सन् 1954) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ बन्दी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये ।
2. नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“परंतु ऐसे बंदियों के मामले में, कारागार से समय पूर्व निर्मुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302 तथा 305 के अधीन या अन्य दण्ड विधियों के उपबंधों के अधीन, इस शर्त के अधीन रहते हुए आजीवन कारावास, जिसमें मृत्यु दण्ड भी एक सजा है, से दण्डादिष्ट किया गया है कि ऐसे बन्दी ऐसी विधियों के उपबंधों के अधीन ऐसे विचारण के लिए वर्जित नहीं है। निर्मुक्ति के लिए पात्रता, उसके बिना परिहार के, दण्डादेश के वास्तविक कारावास के 14 वर्ष का दण्ड भुगतने के पश्चात् ही होगी :

परंतु यह और कि आजीवन कारावास का दण्ड भुगत रहे अन्य समस्त बंदियों की समय पूर्व निर्मुक्ति के लिए विचारण केवल तभी किया जायेगा, जब उन्होंने कम से कम 10 वर्ष का कारावास परिहार सहित भुगत लिया हो और दण्डादेश में, बिना परिहार के, 07 वर्ष का वास्तविक कारावास पूर्ण कर लिया हो :

परंतु यह भी कि उपरोक्त परंतुको में दी गई कोई भी बात, उन बंदियों को लागू नहीं होगी, जिनके मामले माननीय राज्यपाल महोदय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन विचारण के लिए मानवीय आधारों के विशेष कारणों से भेजे जाते हैं।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा चंपावत, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 24th March 2021

NOTIFICATION

No. F 7-1/Three-Jail/2021.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Prisoners Release on Probation Act, 1954 (No. 15 of 1954), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Prisoner's Release on Probation Rules, 1964, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 4, for the punctuation full stop “ . ”, the punctuation colon “ : ” shall be substituted.
2. After rule 4, the following shall be added, namely:-

“Provided that in case of such prisoner, who have been sentenced for life imprisonment, under Section 302 and 305 of the Indian Penal Code, 1860 (No.45 of 1860) or under the provision of other penal laws in which death sentence is also one of the punishments subject to the conditions that such prisoners are not barred for such consideration under the provisions of such laws, will be considered for premature release from the prison. The eligibility for release shall be after undergoing the sentence of 14 years of actual imprisonment without remission of his sentence:

Provided further that all other prisoners, undergoing the sentence of life imprisonment, will be considered for premature release only after they have undergone at least 10 years of imprisonment with remission and after the completion of 07 years of actual imprisonment without remission in sentences:

Provided also that nothing in the above provisos shall apply to the prisoners whose cases are being sent to the Hon'ble Governor for consideration under Article 161 of the Constitution of India, on special reasons of humanitarian grounds.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEHA CHAMPAWAT, Special Secretary.